

मु0न0. 100/2022

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल ना तो स्वयं ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से आराजी मद नं 3, 4 प्रार्थनापत्र मे सायल के हिस्से कमश: 1/4, 1/12 की आराजी को शांतिपूर्वक कास्त करने मे कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें, बिना विधिवत बंटवारा कराये भूमि के किसी भूभाग को रहनवय या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें, सायल के हिस्से की आराजी से गैरसायल ना तो स्वयं बेदखल करें, ना ही किसी अन्य से करावें।


प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया, गैरसायल ने वकालतन उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुये जबाब मे दर्ज किया कि सायल व गैरसायल के मध्य कभी कोई बातचीत नहीं हुई, प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित नहीं है, बल्कि गैरसायल के हक मे है, प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को कोई क्षति नहीं है, जबकि जारी होने से गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी, विशेष विवरण मे दर्ज किया है सायल द्वारा मेटेरियल फैक्टस को छिपाते हुये दावा व दरखास्त पेश किये हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जा कास्त नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है। सायल व गैरसायल सहखातेदार हैं, तथा खातेदार को पाबंद फरमाया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मय खर्चा खारिज किया जाये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, सायल वकील ने बहस मे प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र के मद नं 2 मे दर्ज ग्राम मकबरा की आराजी मे सायल 1/4 हिस्से का व मद नं 2 मे दर्ज ग्राम असरो की आराजी मे सायल 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी का सायल व गैरसायल ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, आये दिन बंटवारा नहीं होने से पक्षकारान मे विवाद रहता है, दिनांक 22.07.2022 को गैरसायल व दावे के प्रतिवादी सं 2 व 3 ने सायल के हिस्से की आराजी पर आकर सायल को कास्त करने से मना कर दिया, और बिना विधिवत बंटवारा कराये दीगर अजनबी लठेत व्यक्तियों को हस्तांतरित करने व सायल के हिस्से की आराजी से सायल को बेदखल करने व सायल को उसकी भूमि को शांतिपूर्वक कास्त नहीं करने देने की ऐलानिया धमकी दी है, यदि गैरसायल उक्त मंसूबे मे कामयाब हो गया, तो सायल को भारी क्षति होगी। इस प्रकार प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत, उक्त तीनों ही बिन्दु सायल के पक्ष मे बखूबी साबित है। प्रार्थनापत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे।

गैरसायल वकील ने अपनी बहस मे जबाब प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल द्वारा दावा व प्रार्थनापत्र मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर पेश करने से व वादग्रस्त भूमि पर सायल का कब्जा कास्त नहीं होने से दावा व प्रार्थनापत्र सायल चलने योग्य नहीं है, साथ ही यह भी कथन किया है कि सायल व गैरसायल सहखातेदार हैं, तथा खातेदार को पाबंद किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थनापत्र सायल मय खर्चा खारिज किया जावे।

विद्वान वकीलों की बहस पर गहनता से मनन किया गया, पत्रावली व उसमे पेश दस्तावेजात का अलोकन किया, प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिये विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओं को तय किया जाना होता है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:- प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मकबरा की जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 मे आराजी ख0न0 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकबा 3.39 है0 मे सायल राजेन्द्र कुमार हिस्सा 1/4, गैरसायल अरविन्द कुमार



(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभाँम, जिला-गंगापूर सिटी

हिस्सा 1/4, दावे की प्रतिवादी सं 2 अनीता हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं 3 सुनीता हिस्सा 1/4 सा.देह. टोडाभीम दर्ज रिकॉर्ड है, एवं ग्राम असरो की आराजी ख0न0 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकबा 0.91 है0 मे, सायल राजेन्द्र कुमार सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, गैरसायल अरविन्द कुमार सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12 है, दावे के प्रतिवादी सं 2 अनीता सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं 3 सुनीता सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, माता प्रतिवादी सं 4 ता 9 सत्यवती सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं 10 अदील अहमद सा.देह. मकबरा हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार सायल भूमि मद नं 1 प्रार्थनापत्र मे 1/4 हिस्से का व मद नं 2 प्रार्थनापत्र मे 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज होना मुताविक रिकॉर्ड साबित है, अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस मे कथन किया है कि दिनांक 22.07.2022 को सायल अपने हिस्से की आराजी पर जोत लगवा रहा था, तो गैरसायलान ने आकर धमकी दी, सायल वादग्रस्त भूमि मे अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है, जिसके विपरीत अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी बहस मे सायल के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के कथन को इंकार किया है, लेकिन गैरसायल द्वारा पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायल का ही कब्जा कास्त हो। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे सायल के हिस्से की भूमि पर सायल का कब्जा होना साबित है। अधिवक्ता गैरसायल ने बहस मे कथन किया है कि सहखातेदार को पाबंद किया जाना न्याय संगत नहीं है, चूंकि सायल ने बंटवारे का दावा पेश किया है, और वादग्रस्त आराजियात संयुक्त कब्जे, कास्त और खातेदारी की भूमि है, जिस पर कानूनन पक्षकारान के हितों को सुरक्षित करने हेतु दौराने दावा गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना चाहिये, इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे व गैरसायल के खिलाफ साबित है।

2. सुविधा का संतुलन:- पत्रावली मे शामिल दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. अपूर्तनीय क्षति:- प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजियात मे यदि गैरसायल को पाबंद नहीं किया जाता है तो गैरसायल द्वारा दौराने दावा उक्त भूमि के हस्तांतरित करने व सायल के कब्जे कास्त मे दखलअंदाजी करने से इंकार नहीं किया जा सकता और ऐसा होने पर सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी-पूरी संभावना है। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष मे साबित है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत सायल के पक्ष मे साबित होने से सायल का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान ताफैसला दावा आराजी स्थित ग्राम मकबरा ख0न0 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकबा 3.39 है0 मे, सायल के 1/4 हिस्से व ग्राम असरो की आराजी ख0न0 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकबा 0.91 है0 मे, सायल के 1/12 हिस्से की आराजी को सायल को शांतिपूर्वक कास्त करने मे कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें, बिना विधिवत बंटवारा कराये उक्त भूमि के किसी भी भूभाग को किसी भी प्रकार हस्तांतरित नहीं करें, सायल को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें, वादग्रस्त उक्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मोना)

उपखण्ड अधिकारी (क.पैदा) सहायक कलक्टर
न्यायालय, जिला-मोनापुर सिटी
टोडाभीम, जिला-मोनापुर सिटी